371/C

(TO BE PUBLISHED IN PART- IV OF THE DELHI GAZETTE - EXTRAORDINARY)

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT)
9TH LEVEL, A-WING, DELHI SECRETARIAT
NEW DELHI

No. F. 24/4/Misc/DHS/NH/2007-08 Dated the 1st June, 2009

NOTIFICATION

No. F 24/4/Misc/DHS/NH/2007-08 - In exercise of the powers conferred by sub - section (3) of section 1 of the Delhi Medicare Service Personnel and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2008, (Delhi Act 08 of 2008), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints the 1st day of June, 2009 as the date on which the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

(J.P Singh)
Pr. Secretary (H&FW).

No.F. 24/4/Misc/DHS/NH/2007-08 25861-76 Dated the 1st June, 2009

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The Joint Secretary (GAD), General Admn. Deptt. Govt of NCT of Delhi I.P. Estate New Delhi with the copies of the above notification (English & Hindi version) for publishing in the Delhi Gazette (part-IV) extraordinary today itself. It is requested that at least 10 copies of the Gazette Notification may be sent to this department as soon as received from the Press.
2. The Secretary to Govt. of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi.
3. The Secretary to Govt. of India, Ministry of H &FW , Nirman Bhawan , New Delhi.
4. The Joint Secretary & Legislative Counsel, Govt. of India, Ministry of Law & Justice, Legislative Deptt. (Correction Cell), Shastri Bhawan, New Delhi.
5. The Pr. Secretary to Lieutenant Governor, NCT Delhi, Raj Niwas, Delhi-54.
6. The Pr. Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, IP Estate , Delhi Sectt., New Delhi.
7. Pr Secretaries/ Secretaries of all Departments of Govt , of NCT Delhi.
8. The Commissioner of Police Delhi Police Head Quarter I.P. Estate New Delhi.
9. Secretary to Minister of Health & Family Welfare, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, 8th Level, A-Wing, New Delhi.
10. Secretaries to all Ministers , Govt of NCT Delhi , IP Estate , Delhi Sectt.,New Delhi.
11. The OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sectt., New Delhi.
12. The Heads of all Departments of Departments of Govt , of NCT Delhi
13. Dean, MAMC, BSZ. Marg , New Delhi with the request to circulate the copy to all concerned Departments.
14. Sh. N.G Goswami, Legislative Counsel, Law Department, Delhi Secretariat, New Delhi.
15. Hony State Secretary, DMA House Ansari Road , Daryaganj Delhi
16. Hony Secretary General IMA Headquarter, Indraprasatha Marg New Delhi -1110002

(J.P Singh)
Pr. Secretary (H&FW).

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

9 वां तल, ए–विंग,दिल्ली सचिवालय, आई0पी0इस्टेट, नयी दिल्ली–02.

सं0फा0 24(04)/विविध/डीएचएस/एनएच/2007–08/ दिनांकः 01जून, 2009

अधिसूचना

सं0फा0 24(04)/विविध/डीएचएस/एनएच/2007–08/ .– दिल्ली चिकित्सा देखभाल सेवा कार्मिक एवं चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति की क्षति की रोकथाम) अधिनियम, 2008 (2008 का दिल्ली अधिनियम 08) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिनांक 01जून, 2009 को वह तिथि नियुक्त करते हैं जिस तिथि से उपरोक्त अधिनियम लागू होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

जे.पी. सिंह

(जे0 पी0 सिंह)
प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

सं0फा0 24(04)/विविध/डीएचएस/एनएच/2007–08/2586-76 दिनांकः 01जून, 2009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :–

1. संयुक्त सचिव, (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासनिक विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, आईपी इस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को आज के दिल्ली राजपत्र (भाग–4) असाधारण में प्रकाशनार्थ उपरोक्त अधिसूचना (अंग्रेजी तथा हिन्दी) अनुवाद की प्रतियों सहित। अनुरोध है कि राजपत्र अधिसूचना की कम–से कम 10 प्रतियाँ प्रेस से प्राप्त होने के पश्चात् इस विभाग को तुरन्त भेजें।
2. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
3. सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्यांण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
4. संयुक्त सचिव, एवं विधि सलाहकार, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि विभाग (संशोधन प्रकोष्ठ), शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
5. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राज निवास, दिल्ली– 54
6. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आई.पी. इस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
8. पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली ।
9. सचिव, परिवार एवं कल्याण मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, 8वां तल, ए–विंग, नई दिल्ली ।
10. सचिव, सभी मंत्रीगण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आई.पी. इस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
11. विशेष कार्यधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आई.पी. इस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
12. विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
13. डीन, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को सभी संबंधित विभागों को इसकी प्रति परिचालित करने हेतु ।
14. श्री एन. जी. गोस्वामी, विधि सलाहकार, विधि विभाग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
15. अवैतनिक प्रदेश सचिव, डीएमए हाउस अंसारी रोड़, दरियागंज, दिल्ली ।
16. अवैतनिक महासचिव, आईएमए मुख्यालय, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली ।

जे.पी. सिंह

(जे0 पी0 सिंह)
प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

रजिस्ट्री सं. डी एल—33002/99 भारत सरकार REGD. No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170] दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 2008/कार्तिक 2, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 214
No. 170] DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2008/KARTIKA 2, 1930 [N.C.T.D. No. 214

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2008

फा. सं. 91/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/2008/1254—1262.—जबकि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है,

अतः, अब, दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के उपबंधों से भोरगढ़, राजापुर कलां तथा सन्नोठ गांव में औद्योगिक फेज II, बवाना के विकास हेतु 17.5 हेक्टेयर क्षेत्र को छूट प्रदान करती है, जोकि 442 वृक्षों को काटने तथा 91 वृक्षों का प्रत्यारोपण निम्नलिखित शर्तों के अनुसार है :—

1. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बवाना औद्योगिक क्षेत्र फेज II में 5330 वृक्षों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा दिल्ली के लिये की गई विशेष सिफारिशों सहित किया जायेगा ।

2. वृक्षों को काटे जाने के पश्चात् प्राप्त लकड़ी दिल्ली नगर निगम के संबंधित कर्मचारियों को दिल्ली में शवदाह में प्रयोग हेतु सौंपी जाए ।

3. प्रयोक्ता एजेंसी दिल्ली वृक्ष संरक्षक अधिनियम, 1994 के अधीन निर्मित नियमों के अनुसार 533 वृक्षों के संबंध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के बदले जमा प्रतिभूति को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वन एवं वन्य जीव विभाग में उपायुक्त वन (पश्चिम) के पास सौंप देगी ।

4. क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य इस आदेश के जारी होने की तारीख से 9 माह के अन्दर पूरा किया जाना चाहिए ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

जे. के. दादू, सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

Delhi, the 24th October, 2008

No. 91/WFD/COT/08/1254—1262.—Whereas, the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary so to do in the public interest,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of 17.5 ha from the provisions of

309|C

...may be

member.

सं. फा. 14(6)/एल.ए.-2008/एलई लॉ/124133.– उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 20 अक्तूबर, 2008 को मिली अनुमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :–

"दिल्ली चिकित्सा देखभाल सेवा कार्मिक एवं चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पत्ति की क्षति की रोकथाम) अधिनियम, 2008

(2008 का दिल्ली अधिनियम 08)

[20 अक्तूबर, 2008.]

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2008 को यथापारित)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में चिकित्सा देखभाल सेवा कार्मिकों के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए और चिकित्सा सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति की क्षति की रोकथाम के लिए एवं उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों के लिये अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ.**–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक दिल्ली चिकित्सा देखभाल सेवा कार्मिक

4128 D9/08-5

3087 C

एवं चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं सम्पत्ति की क्षति की रोकथाम) अधिनियम, 2008 है ।

(2) यह सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा ।

(3) यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथा नियत तिथि से प्रभावी होगा ।

2. **परिभाषाएं.**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "चिकित्सा सेवा संस्थान" का अर्थ बाह्य रोगी या अंतरंग रोगी को किसी भी मान्य चिकित्सा पद्धति से लोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराने वाले संस्थान से है जो दिल्ली सरकार या केन्द्रीय सरकार या स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन या स्वायत्त निकायों द्वारा संचालित, चिकित्सा सेवा संस्थान, व्यक्तियों, न्यास, सोसायटियों, कंपनियों इत्यादि द्वारा संचालित क्लीनिक, निजी नर्सिंग होम तथा अस्पताल और रोगग्रस्त व्यक्तियों के रोग के निदान तथा/अथवा उपचार की सुविधाएं रखते हों, जहाँ पर व्यक्तियों को बीमारी, चोट, अक्षमता चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक, प्रसवपूर्ण तथा/अथवा प्रसवोत्तर, या इससे संबंधित कुछ भी तथा प्रसूति गृह या स्वास्थ्य लाभ भवन शामिल है, के प्रयोजन हेतु प्रवेश दिया जाता है और रखा जाता है;

(ख) "दिल्ली" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से है;

(ग) "सरकार" का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एवं अनुच्छेद 239कक के अंतर्गत पदनामित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है;

(घ) "चिकित्सा देखभाल सेवा कार्मिक" चिकित्सा सेवा संस्थान के संबंध में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(i) पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी,

(ii) पंजीकृत नर्स, नर्सिंग सहायक, मिडवाइफ,

(iii) सहायक चिकित्सा कामगार रोगी वाहन सेवा उपलब्ध कराने वाले और निदानात्मक सेवा उपलब्ध कराने वाले,

(iv) कोई अन्य कार्मिक जो प्रशिक्षण, अध्ययन इत्यादि के प्रयोजन के लिए परिसर में कार्य कर रहे हैं;

(ङ) "अपराधी" का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो स्वयं या व्यक्तियों के किसी समूह या संगठन के किसी सदस्य के रूप में या नेता के रूप में इस अधिनियम के अन्तर्गत हिंसा करता है या हिंसा करने का प्रयत्न करता है या हिंसा करने को प्रोत्साहित या उकसाता है;

(च) "हिंसा" का अर्थ चिकित्सा सेवा संस्थान में कार्य निष्पादन करने वाले किसी चिकित्सा देखभाल सेवा कार्मिक को किसी प्रकार की हानि या चोट पहुंचाने या जीवन के लिए संकट उत्पन्न करने, भयभीत करने, बाधा या रुकावट खड़ी करने वाली या ऐसे संस्थान की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने वाली गतिविधियों से है ।

3. **हिंसा पर प्रतिबंध.**—किसी चिकित्सा सेवा संस्थान के चिकित्सा देखभाल सेवा कार्मिक के विरुद्ध हिंसा का कोई कार्य या उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाना प्रतिबंधित है ।

4. **दण्ड.**—कोई अपराधी जो धारा 3 का उल्लंघन करके कोई कार्य करता है वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

5. **संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध.**—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी रहते हुए धारा 3 के अंतर्गत किया गया कोई अपराध संज्ञेय तथा गैर जमानती होगा ।

6. **शिकायत प्रस्तुत करने वाले प्राधिकारी.**—जिस चिकित्सा सेवा संस्थान में अपराध हुआ है उसके अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को विधि प्रवर्तन प्राधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत करने की शक्ति होगी ।

7. **अपराधों का मुकदमा चलाने तथा संज्ञान लेने के लिए सक्षम न्यायालय.**—(1) किसी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न कोई अन्य न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा तथा मुकदमा नहीं चलाएगा ।

(2) कोई भी न्यायालय कम से कम उपनिरीक्षक की रैंक के किसी पुलिस अधिकारी की लिखित रिपोर्ट को छोड़कर इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा ।

8. **संपत्ति को पहुँची क्षति के लिए हानि की वसूली.**—(1) धारा 4 में विनिर्दिष्ट दण्ड के अतिरिक्त अपराधी क्षतिग्रस्त चिकित्सा उपकरण के क्रय मूल्य राशि की और सम्पत्ति को पहुँची क्षति राशि की दुगनी राशि के लिए अपराधी पर मुकदमा चलाने वाले न्यायालय द्वारा यथानिर्धारित अर्थदण्ड का भागी होगा ।

(2) यदि अपराधी ने उप-धारा (1) के अंतर्गत दण्ड राशि का भुगतान नहीं किया है तो उक्त राशि वसूल की जाएगी मानो यह भू-राजस्व का बकाया उस पर है ।

9. **अपराधों का प्रशमन.**—(1) सरकार या सरकार द्वारा इस संबंध में सामान्य या विशेष आदेश से प्राधिकृत कोई व्यक्ति कार्यवाही करने से पूर्व या बाद में इस अधिनियम द्वारा या अंतर्गत दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन कर सकता है ।

(2) जहाँ किसी अपराध का प्रशमन किया गया है यदि अपराधी अभिरक्षा में है तो वह रिहा किया जाएगा और माफ किए गए अपराध सम्बन्धी उसके विरुद्ध कोई आगामी कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

10. **सद्भावना से की गई कार्यवाही का बचाव.**—इस अधिनियम के अंतर्गत सद्भावना से किए या किए जाने वाले किसी

कार्य के लिए सरकार या किसी व्यक्ति या सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या किसी चिकित्सा सेवा संस्थान के अध्यक्ष या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के विरुद्ध कोई अभियोग या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

11. **अधिनियम, किसी अन्य कानून की अवज्ञा नही.**— इस अधिनियम के उपबंध अतिरिक्त होंगे तथा तत्समय प्रचलित किसी अन्य कानून के उपबंधों की अवज्ञा नहीं करेंगे ।"

सविता राव, संयुक्त सचिव

No.F.14(6)/LA-2008/lelaw/124-133.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 20th October, 2008 and is hereby, published for general information :—

"The Delhi Medicare Service Personnel and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2008

(Delhi Act 08 of 2008)

[20th October, 2008]

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 11th September, 2008).

An Act to prohibit violence against medicare service personnel and damage to property in medicare service institutions in the National Capital Territory of Delhi and for matters connect therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Delhi Medicare Service Personnel and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2008.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi may, by notification in the official Gazette appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "medicare service institution" mean institutions providing medicare to people in any recognized system of medicine, on out patient or inpatient basis, which are under the control of the Government of Delhi or the Central Government or local bodies, medicare institutions run by autonomous bodies, clinics, private nursing homes/and hospitals run by individules, trusts, societies, companies, etc. and having facilities for diagnosis and/or treatment of the sick, where persons are received and accommodated for the purpose of diagnosis and treatment of sickness, injury, or infirmity whether of body or mind, ante natal and/or post natal care, or anything connected therewith, and include a maternity home or convalescent home;

(b) "Delhi" means the National Capital Territory of Delhi;

(c) "Government" means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under Article 239 and designated as such under Article 239AA of Constitution;

(d) "medicare service personnel" in relation to a medicare service institution shall include,—

(i) registered medical practioners;

(ii) registered nurses, nursing aids, midwives;

(iii) para medical workers, ambulance service providers, and diagnostic services providers;

(iv) any other personnel who are working in the premises for the purpose of training, studies, etc.;

(e) "offender" means any person who either by himself or as a member or as a leader of a group of persons or organization commits or attempts to commit or abets or incites the commission of violence under this Act;

(f) "violence" mean activities of causing any harm or injury or endangering life, or intimidation, obstruction or hindrance to any medicare service personnel in discharge of duty in the medicare service institution or damage to property in such institution;

3. Prohibition of violence.—Any act medicare or violence against service personnel or damage to property in a medicare service institution is hereby prohibited.

4. Penality.—Any offender who commits any act in contravention of Section 3, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

5. Offences to be cognizabe and non-bailable.—Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), any offence committed under Section 3, shall be cognizable and non-bailable.

6. Authority to file complaint.—The Head of the medicare service institution where the offence has been committed, or his authorized representative shall have the power to make a complaint under this Act with the law enforcing agency.

7. Court competend to try and take cognizance of offences.—(1) No court other than the court of a

306/C

Metropolitan Magistrate shall be take congnizance of, and try an offence under this Act.

(2) No court shall take congnizance of an offence under this Act except on a report in writing of a police officer, not below the rank of Sub-Inspector.

8. Recovery of loss for the demage caused to the property.—(1) In addition to the punishment specified in Section 4, the offender shall be liable to a penalty of twice the amount of purchase price of medical equipment damaged and loss caused to the property as determinated by the Court trying the offender.

(2) If the offender has not paid the penal amount under sub-section (1), the said sum shall be recovered as if it were arrears of land revenue due from him.

9. Composition of offences.—(1) The Government or any person authorized by the Government by general or special order in this behalf, may either before or after the Institution of the proceedings, compound an offence punshiable by or under this Act.

(2) Where an offence has been compounded, the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of the offence compounded.

10. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government or any person or officer authorized by the Government or the Head of a medicare service institution or his authorized representative for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

11. Act not in derogation any other law.—The provision of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law, for the time being in force.

SAVITA RAO, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.